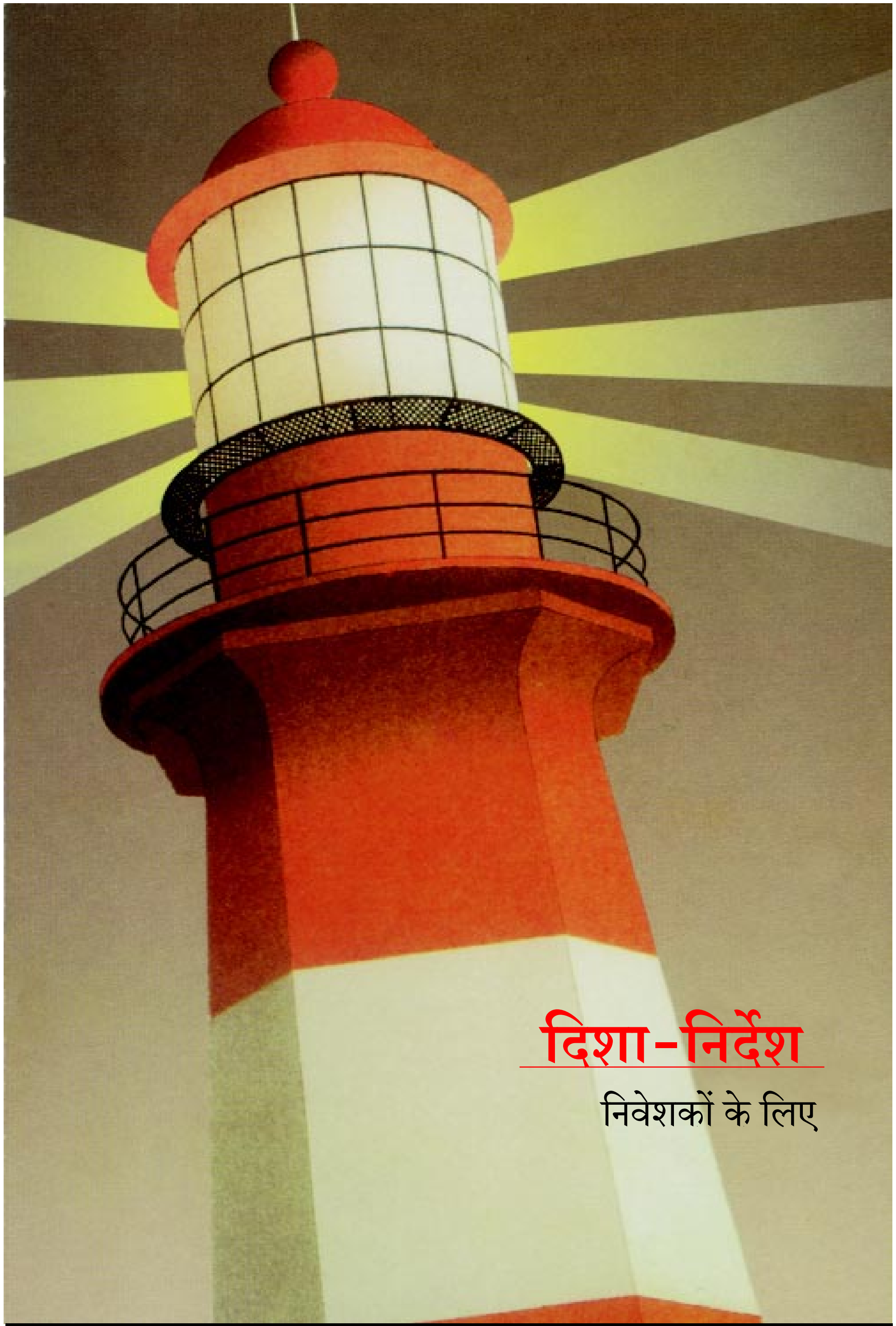

दिशा-निर्देश

निवेशकों के लिए

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड

दिशा-निर्देश

निवेशकों द्वारा अकसर पूछे जाने वाले कुछ सवाल

परिचय

एनएसई भारत का एक अग्रणी स्टॉक एक्सचेंज है. इसके द्वारा अप्रैल 2000 से मार्च 2001 के दौरान देशभर में 400 से ज्यादा शहरों में औसत रूप से 5300 करोड़ रुपये और 6,66,354 सौदों का दैनिक कारोबार हुआ. यह एक्सचेंज देशभर में फैले निवेशकों के लिए एक आधुनिक और पूरी तरह कंप्यूटीकृत ट्रेडिंग सिस्टम प्रदान करता है जिसके जरिए वे सुरक्षित और आसानी से शेयरों में खरीद/बेच कर सकेंगे. तात्कालिक कारोबारी और निपटारा (सेटलमेंट) प्रणालियों के कारण आम निवेशक को होने वाली परेशानियों से उसे मुक्ति दिलाने के लिए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के गठन की आवश्यकता महसूस की गई. पूरे देश में ट्रेडिंग टर्मिनलों के नेटवर्क को इस तरह बनाया गया है जिससे इन पर भारत में कहीं भी निवेशक की एकसमान पहुंच हो सके और वे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें. इससे यह एक ऐसा एकमात्र सक्रिय बाजार हो गया है जहां कारोबारी बहुलता से निवेश भुनाना सरल हो सका, साथ अतुलनीय पारदर्शिता और सुरक्षिततता भी निश्चित हो सकी.

एनएसई में, हम अपने सेवा-स्तर और इसे निवेशकों के लिए जाने-पहचाने ढंग से कारोबार लायक बनाने के लिए अधिकतम सुधार लाने में प्रयत्नशील हैं. इस पुस्तिका में निवेशकों की आम समस्याओं के निदान एवं आम सवाल-जवाब हैं. इस पुस्तिका का उद्देश्य आम निवेशक के लिए विभिन्न कारोबारी प्रचलनों को आसानी से समझ सकना तथा इसका उपयोग मार्गनिर्देशिका के रूप में किया जाना है.

विषय

पृष्ठ सं.

1.	**एनएसई में सौदों से पहले के मामलों पर सवाल जवाब**	***1***
	एनएसई ट्रेडिंग मेंबर/ सेबी पंजीकृत सब-ब्रोकर के द्वारा किए जाने वाले सौदे	*10*
	क्लाइंट पंजीकरण	*11*
2.	**कारोबार संबंधी मामले**	***13***
	क्रय/ विक्रय आदेश देना	*14*
	सौदों के भाव	*14*
	ट्रेडिंग मेंबर द्वारा दिए जाने वाले डॉक्यूमेंट्स	*16*
	कॉन्ट्रेक्ट या क्रय/ विक्रय पत्र	*17*
	दलाली और अन्य शुल्क	*20*

3.	**क्लियरिंग और सेटलमेंट संबंधी मामले**	***21***
	सेटलमेंट के प्रकार (हिसाब-किताब अवधि और रोलिंग सेटलमेंट)	*21*
	शेयरों और धन का लेन-देन	*22*
	सेटलमेंट गारंटी फंड	*24*
	डीमैट सेटलमेंट	*25*
	शेयरों की नीलामी	*26*
	गुड/बैड डिलीवरी	*27*
	कंपनी की आपत्तियां	*28*
4.	**शिकायतों का निपटारा**	***30***
	शिकायतें किसे भेजें	*30*
	आईजीसी द्वारा निपटारे के लिए ली गई शिकायतें	*31*
	निवेशक सुरक्षा कोष	*34*
	वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी	*34*
5.	**निवेशकों के अधिकार और दायित्व**	**35**
6.	**फ्लो चार्ट**	36
	जब शेयरों में निवेश करें	
7.	**फार्म्स और प्रोफोरमा**	**37**
	ट्रेडिंग मेंबर द्वारा जारी कॉन्ट्रॅक्ट नोट्स का प्रोफोरमा	37
	एनएसई ट्रेडिंग मेंबर के सेबी में पंजीकृत सब-ब्रोकर द्वारा जारी क्रय/विक्रय नोट का प्रोफोरमा	39
8.	**निवेशक सेवा केंद्र**	**41**

निवेशकों द्वारा अकसर पूछे जाने वाले कुछ सवाल

एनएसई में हुए सौदों से पहले के मामलों पर सवाल-जवाब

एनएसई में हुए सौदों से पहले के मामलों पर सवाल –जवाब

एनएसई ब्रोकर/सेबी पंजीकृत सब–ब्रोकर द्वारा किए जाने वाले सौदे

1. **एनएसई में शेयरों के क्रय–विक्रय के लिए किससे मिलें?**

शेयरों के क्रय-विक्रय के लिए आप इनमें से किसी से भी मिल सकते हैं:

एनएसई के सेबी पंजीकृत ट्रेडिंग मेंबर (ब्रोकर) से; या, एनएसई ट्रेडिंग मेंबर के सेबी पंजीकृत सब-ब्रोकर से

2. **एनएसई ट्रेडिंग मेंबर के एनएसई/सेबी पंजीकृत सब–ब्रोकर के ट्रेडिंग मेंबर के साथ ही क्यों सौदे करने चाहिए ?**

यह एक्सचेंज सिर्फ उन्हीं सौदों के निपटारे और विवाद /क्लेम में सहायक होगा जो पंजीकृत ब्रोकर और सब-ब्रोकरों के द्वारा एनएसई में किए गए होंगे. अतः किसी अपंजीकृत ब्रोकर द्वारा एनएसई में हुए सौदों के मामले में निपटारा न होने पर या क्लेम/विवाद होने की परिस्थिति में निवेशक को इस एक्सचेंज की सेवाएं नहीं मिल सकेंगी.

3. **कैसे पता चले कि हमारा ब्रोकर एनएसई ट्रेडिंग मेंबर/सेबी पंजीकृत सब–ब्रोकर है ?**

आप उससे सेबी पंजीकरण प्रमाणपत्र, एनएसई में पंजीकरण वगैरह के प्रमाण दिखाने के लिए कह सकते हैं. आप एक्सचेंज से भी पता कर सकते हैं कि उसका पंजीकरण वैध है या नहीं.

एनएसई ट्रेडिंग मेंबरों की सूची @www.nse.co.in पर भी देखी जा सकती है

क्लाइंट पंजीकरण

4. **एनएसई ट्रेडिंग मेंबर/सेबी पंजीकृत सब–ब्रोकर के यहां क्लाइंट पंजीकरण कैसे होता है?**

सभी निवेशकों को किसी पंजीकृत ट्रेडिंग मेंबर/सब-ब्रोकर के पास पंजीकरण करवा लेना चाहिए. इसके लिए जरूरी है :

- क्लाइंट रजिस्ट्रेशन फार्म भरना; और,
- मेंबर-कॉन्स्टिट्युएंट एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर होना. (सभी एनएसई मेंबर (ब्रोकरों) के पास इसकी प्रति उपलब्ध है.)

मेंबर-कॉन्स्टिट्युऐंट एग्रीमेंट में शर्तें और नियम लिखे होते हैं, जिसमें ऑर्डर/ट्रेड कन्फरमेशन, दलाली, शेयरों और रुपयों के लेन-देन इत्यादि विवरण शामिल हैं . ऐसा हो तो भविष्य में विवाद की संभावनाएं कम हो जाती हैं. एनएसई ट्रेडिंग मेंबर/सेबी पंजीकृत सब-ब्रोकर के क्लाइंट के रूप में नए पंजीकरण के इच्छुक सभी निवेशकों के लिए ये औपचारिकताएं पूरी करना आवश्यक है.

5. मेंबर–कॉन्स्टिट्युएंट एग्रीमेंट (अनुबंध) पर हस्ताक्षर करने से पहले कौन–कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए ?

1. अपने ट्रेडिंग मेंबर (ब्रोकर) के साथ यह एग्रीमेंट करने से पहले इसमें दर्ज विभिन्न नियम और शर्तों को सावधानीपूर्वक पढ़ एवं उनके होने वाले असर को समझ लेना चाहिए.
2. देख लें कि यह एग्रीमेंट उचित मूल्य के स्टैंप पेपर पर है या नहीं, साथ ही यह भी देखें कि स्टैंप पेपर वैध हो (उदाहरणस्वरूप महाराष्ट्र में स्टैंप जारी करने की तिथि से 6 माह तक वैध होता है). जांच लें कि एग्रीमेंट की तारीख़ स्टैंप पेपर पर लिखी तारीख़ से पहले की न हो.
3. एग्रीमेंट में आपका और ट्रेडिंग मेंबर का नाम साफ–साफ लिखा होना चाहिए.
4. एग्रीमेंट के सभी पन्नों पर आपके और ट्रेडिंग सदस्य के हस्ताक्षर होने आवश्यक हैं. यह भी देख लें कि गवाहों के हस्ताक्षरों के साथ उनके सामने उनके नाम–पते भी लिखे हों.
5. देखें कि ट्रेडिंग मेंबर या उनके प्रतिनिधि मेंबर–कॉन्स्टिट्युएंट एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत हैं या नहीं (इसके लिए बोर्ड रिजॉलूशन, पावर ऑफ एटॉर्नी वगैरह देखनी चाहिए).

कारोबार संबंधी मामले

क्रय/विक्रय (खरीद-बेच) निर्देश देना

6. अपने ट्रेडिंग मेंबर/पंजीकृत सब-ब्रोकर को क्रय/विक्रय आदेश कैसे दें ?

ट्रेडिंग मेंबर और क्लाइंट का आपसी संबंध भरोसे पर टिका होता है. फिर भी, यह महत्वपूर्ण है कि आपके ऑर्डर के लिए आदेश लिखित रूप में ही हों तथा ये ट्रेडिंग मेंबर द्वारा स्वीकृत किए गए हों. आदेश में कंपनी/शेयर का नाम, ऑर्डर खरीदने के लिए है या बेचने के लिए, शेयरों/प्रतिभूतियों की संख्या, भाव संबंधित निर्देश, और ऐसे ही अन्य जरूरी निर्देश स्पष्ट रूप से लिखे हों. इससे आपके लिए सौदा करते समय आपके और आपके ट्रेडिंग मेंबर/पंजीकृत सब-ब्रोकर के बीच गलतफहमी की संभावनाएं कम से कम होंगी.

सौदों के भाव

7. प्राइस-टाइम प्रायरिटी (भाव-समय प्राथमिकता) क्या है ?

सभी ऑर्डर भाव और समय की प्राथमिकता के अनुसार रखे जाते हैं. मान लीजिए, आपने कंपनी अ के 100 शेयर खरीदने के लिए रु. 285/- के भाव पर ऑर्डर दिया और उसी समय किसी दूसरे निवेशक ने रु. 290/- के भाव पर. तो उस निवेशक के शेयर, जो कंपनी अ के शेयर बेचना चाहता है, दूसरे क्रम के ऑर्डर यानी रु. 290/- के भाव पर बेचे जाएंगे, क्योंकि भाव के मामले में दूसरे खरीदार के भाव ऊंचे थे. इसे भाव प्राथमिकता कहते हैं. अब एक और उदाहरण लीजिए, आप दोनों ने कंपनी अ के शेयर रु. 285/- के भाव पर ख़रीदी के सौदे लिखाए हैं तो इस भाव पर सौदा उसके पक्ष में होगा, जिसने ऑर्डर पहले लिखाया था. यह समय प्राथमिकता है.

8. कैसे पता चले कि मेरे ट्रेडिंग मेंबर ने मुझे अच्छा भाव दिलाया है ?

एनएसई का यह सिस्टम ऑर्डरों को आपस में इस तरह मिलाता है कि सौदा या तो दिए हुए भाव में पटे या मुनाफे वाले भाव पर. लेकिन किसी भी हालत में नुकसान देने वाले भाव पर नहीं. इसे यों समझें. मान लीजिए, आपने रु. 50/- के भाव पर 100 शेयर बेचने को कहा है तो इस सिस्टम के अंतर्गत आपका सौदा इस तरह होगा कि आपको बिक्री कीमत रु. 50/- मिले या इससे ज्यादा, लेकिन कम नहीं. इसी तरह, अगर आप रु. 50/- के भाव पर 100 शेयर खरीदना चाहते हैं तो इस सिस्टम के तहत आपको शेयर या तो रु. 50/- के भाव पर दिलाए जाएंगे या इससे कम पर. लेकिन, ज्यादा भाव पर कभी नहीं.

9. कैसे पता चले कि मेरे सौदे का सही भाव क्या था?

एनएसई ट्रेडिंग सिस्टम (नीट) इस सिस्टम में दर्ज सभी ऑर्डरों को विशिष्ट ऑर्डर नंबर देकर उनका लेखा-परीक्षण बनाए रखता है.

इसलिए, आप अपने ब्रोकर से कहें कि वह आपको आपका वह विशिष्ट ऑर्डर नंबर दे जो इस सिस्टम के तहत आपके ऑर्डर को दिया गया है.

अब, जैसे ही आपका सौदा हो जाता है तो एक ट्रेड कन्फ़रमेशन स्लिप बनाई जाती है जिसमें सौदे का नंबर, सौदे का समय, संख्या और वह भाव, जिस पर सौदा हुआ, साथ ही संबंधित ऑर्डर नंबर लिखा होता है. जैसे ही सौदा हुआ, ट्रेडिंग मेंबर का कर्तव्य है कि वह अपने ग्राहक को यह ट्रेड कन्फरमेशन स्लिप दे दे. इस ट्रेड कन्फरमेशन स्लिप से आपको पता चल जाएगा कि आपका सौदा किस भाव में हुआ है.

कारोबारी दिन के अंत में, आपके ब्रोकर को आपको एक कॉन्ट्रेक्ट नोट बनाकर देना चाहिए.

10. इस बात की तसल्ली कैसे हो कि मेरा ट्रेडिंग मेंबर कहीं दूसरे ग्राहक के सौदे का भाव मुझे न पकड़ा दे या फिर उसके अपने व्यक्तिगत खाते में किए गए सौदों के भाव मुझे न थमा दे ?

इसकी जांच आपको दिए गए विशिष्ट ऑर्डर नंबर के साथ आपको मिले भाव का मिलान करने से होगी. यह एक्सचेंज ऑर्डर/ सौदों के क्रमांक और सौदे से जुड़े अन्य विवरण आठ वर्षों तक सुरक्षित रखता है. निवेशक एक्सचेंज से इस दौरान सारी जानकारी ले सकता है.

ट्रेडिंग मेंबर द्वारा दिए जाने वाले दस्तावेज (डॉक्यूमेंट्स)

11. सौदे से संबंधित कौन-कौन से कागज-पत्र होते हैं जो मेरा एनएसई ट्रेडिंग मेंबर/पंजीकृत सब-ब्रोकर मुझे देगा और ये डॉक्यूमेंट्स मुझे कब तक मिल जाने चाहिएं ?

ऑर्डर कन्फरमेशन स्लिप	:	ऑर्डर देने के बाद
ट्रेड कन्फरमेशन स्लिप	:	सौदा पूरा हो जाने के बाद
कॉन्ट्रेक्ट नोट अगर एनएसई ट्रेडिंग मेंबर के हाथ सौदा हुआ हो तो	:	सौदा पूरा हो जाने के 24 घंटों के भीतर
परचेज़/ सेल नोट अगर किसी एनएसई ट्रेडिंग मेंबर के पंजीकृत सब-ब्रोकर के हाथों सौदा हुआ हो तो	:	सौदा पूरा हो जाने के 24 घंटों के भीतर

आप क्रमशः अपने एनएसई के ट्रेडिंग मेंबर या पंजीकृत सब-ब्रोकर पर आपके कॉन्ट्रॅक्ट नोट्स या परचेज/ सेल नोट देने के लिए जोर दें.

कॉन्ट्रॅक्ट या खरीद-बेच पत्र

12. कॉन्ट्रॅक्ट या खरीद-बेच पत्र पर लिखी जानकारी अगर गलत हुई या इन नोट्स पर मेरे बजाए किसी और के ऑर्डर/सौदे लिखे गए हों तो क्या होगा ?

आपको कॉन्ट्रॅक्ट या खरीद-बेच पत्र पर लिखे विवरण को ऑर्डर और ट्रेड कन्फरमेशन स्लिप से मिला लेना चाहिए. इसमें देखना यह चाहिए कि ट्रेड कन्फरमेशन स्लिप पर लिखे ऑर्डर नंबर, ट्रेड नंबर (सौदे का नंबर) और अन्य विवरण कॉन्ट्रॅक्ट या खरीद-बेच पत्र से मिलान खाते हैं या नहीं.

भूलचूक हो तो यह बात आप अपने ट्रेडिंग मेंबर/ पंजीकृत सब-ब्रोकर की नजर में फौरन ही ले आएं. इसे आप न सिर्फ लिखित रूप में दें बल्कि ट्रेडिंग मेंबर/ पंजीकृत सब-ब्रोकर से इसके मिलने की रसीद भी अवश्य लें. भूलचूक वाले ऐसे सौदे, जो आपसे संबंधित न हों, इसमें साफ-साफ लिखें.

13. कॉन्ट्रॅक्ट नोट क्या होता है? यह जरूरी क्यों है ?

कॉन्ट्रॅक्ट नोट वह नोट है जिसमें ग्राहक के लिए किए गए दिन-विशेष के सौदे लिखे होते हैं. एनएसई द्वारा स्वीकृत प्रारूप और निर्धारित तरीके से तैयार कॉन्ट्रॅक्ट नोट, वह नोट है जो इसमें दर्शाए और इस एक्सचेंज में संपन्न सौदों के मामलों में ट्रेडिंग मेंबर और ग्राहक के बीच मान्य कानूनी रिश्ते का आधार है. कॉन्ट्रॅक्ट नोट डुप्लिकेट में बनाए जाते हैं. मेंबर और ग्राहक, दोनों के पास एक-एक कॉपी होती है.

उपरोक्त कॉन्ट्रॅक्ट नोट पर ट्रेडिंग मेंबर या ट्रेडिंग मेंबर के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर होने चाहिएं.

इसमें लिखे विवरण को जांच लेने के बाद, इसकी दूसरी कॉपी, प्राप्तिसूचक हस्ताक्षरसहित ट्रेडिंग मेंबर को लौटा देनी चाहिए.

14. हो चुके सौदों के लिए कॉन्ट्रक्ट/खरीद-बेच पत्र के लिए जोर क्यों देना चाहिए ?

ट्रेडिंग मेंबर/पंजीकृत सब-ब्रोकर के हाथों हुए सौदों में यह दस्तावेज बेहद महत्व के होते हैं. विवाद/क्लेम/फर्क आ जाने पर, इन कागज-पत्रों से आप यह सिद्ध कर सकेंगे कि इस एक्सचेंज में यह सौदा एनएसई ट्रेडिंग मेंबर/पंजीकृत सब-ब्रोकर के द्वारा ही हुआ था.

ये डॉक्यूमेंट्स ट्रेडिंग मेंबर/पंजीकृत सब-ब्रोकर के विरूद्ध शिकायत लिखाने या मध्यस्थता के लिए आवेदन हेतु अनिवार्य होते हैं.

15. क्या मुझे कॉन्ट्रक्ट नोट मिलेगा, भले ही मैंने किसी पंजीकृत सब-ब्रोकर के द्वारा सौदा किया हो ?

अगर आपने किसी पंजीकृत सब-ब्रोकर के द्वारा सौदा किया है, तो उस सब-ब्रोकर के लिए आपको परचेज/सेल नोट्स देना आवश्यक है. बहरहाल, वह ट्रेडिंग मेंबर, जिसके टर्मिनल द्वारा सब-ब्रोकर ने यह सौदा निबटाया था, आपके सब-ब्रोकर को बैक टू-बैक कॉन्ट्रॅक्ट नोट्स देगा, जिसमें सभी सौदों का विवरण लिखा होगा.

इन नोट्स को पंजीकृत सब-ब्रोकर के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए.

दर्ज जानकारी को पूरी तरह से जांच लेने के बाद, खरीद-बेच पत्र की दूसरी प्रति प्राप्ति की सूचना देते हुए, सब-ब्रोकर को लौटा देनी चाहिए.

16. किसी भी निवेशक को कॉन्ट्रक्ट नोट की वैधता जांचने के लिए किन बातों पर ध्यान देना चाहिए ?

आपके ट्रेडिंग मेंबर द्वारा दिए गए कॉन्ट्रक्ट नोट की वैधता देखने के लिए, आप निम्न विवरणों को जांचें :

कॉन्ट्रक्ट नोट अधिकृत प्रारूप में हो

(कॉन्ट्रक्ट नोट का प्रोफ़ोरमा पृष्ठ 37 पर दिया गया है)

ट्रेडिंग मेंबर का नाम-पता

ट्रेडिंग मेंबर का सेबी पंजीकरण क्रमांक

सौदे का विवरण जैसे कि ऑर्डर क्रम, सौदे की क्रम संख्या, सौदे का समय, शेयर/कंपनी का नाम, संख्या, भाव, दलाली, सेटलमेंट नंबर, अन्य शुल्कों का विवरण.

सौदे का मूल्य और दलाली अलग-अलग दिखाया जाना चाहिए.

अधिकृत हस्ताक्षरकर्त्ता के हस्ताक्षर.

17. परचेज/सेल नोट की वैधता जांचने के लिए निवेशक को किन बातों पर ध्यान देना चाहिए.

खरीद-बेच पत्र अधिकृत प्रारूप में हो (प्रोफोर्मा पृष्ठ 39 पर दिया गया है)

पंजीकृत सब-ब्रोकर का नाम, पता और सेबी पंजीकरण संख्या

संदर्भित ट्रेडिंग मेंबर का नाम, पता और सेबी पंजीकरण संख्या

सौदे का विवरण जैसे कि ऑर्डर क्रम, सौदे की क्रम संख्या, सौदे का समय, शेयर/कंपनी का नाम, संख्या, भाव, दलाली, सेटलमेंट नंबर, अन्य शुल्कों का विवरण.

सौदे का मूल्य और दलाली अलग-अलग दिखाया जाना चाहिए.

इसके अतिरिक्त सुनिश्चित करें कि अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर, मध्यस्थता संबंधी उपनियम, जो ये दर्शाएं कि सौदा मुंबई न्यायालय की सीमा के अधीन है और ये बातें कॉन्ट्रेक्ट नोट पर अवश्य लिखी हों.

दलाली और अन्य शुल्क

18. किसी एनएसई ब्रोकर/पंजीकृत सब-ब्रोकर के द्वारा ली जानेवाली अधिकतम दलाली (ब्रोकरेज) कितनी होती है ?

जैसा कि सेबी द्वारा बताया गया है सौदे के मूल्य का 2.5 प्रतिशत अधिकतम दलाली के रूप में लिया जा सकता है. इस अधिकतम दलाली में सब-ब्रोकर की दलाली भी शामिल है (सब-ब्रोकरेज सौदे के मूल्य के 1.5 प्रतिशत से ज्यादा नहीं हो सकती).

19. दलाली के अलावा अतिरिक्त शुल्क कौन-कौन से हैं जिन्हें निवेशक से वसूला जा सकता है ?

ट्रेडिंग मेंबर निम्न शुल्क ले सकता हैः

दलाली का 5 प्रतिशत बतौर सर्विस टैक्स (सेवा कर)

एनएसई द्वारा लगाए गए ट्रांजेक्शन चार्ज (व्यवहार शुल्क)

क्लाइंट (निवेशक) के संदर्भ में लगे दंड.

ब्रोकरेज (दलाली) और सेवा कर कॉन्ट्रेक्ट नोट में अलग-अलग दिखाए जाते हैं.

क्लियरिंग और सेटलमेंट संबंधी मामले

सेटलमेंट के प्रकार

20. अकाउंट पीरियड सेटलमेंट क्या है ?

अकाउंट पीरियड सेटलमेंट वह सेटलमेंट है जहां एक दिन से ज्यादा चलनेवाले सौदों का हिसाब निपटाया जाता है. उदाहरणस्वरूप, सोमवार से शुक्रवार या बुधवार से अगले मंगलवार तक के सौदों की अवधि में अकाउंट पीरियड का निपटारा शेष बचे लेन-देन आधार पर होता है.

एनएसई में नॉर्मल सेटलमेंट (बतौर अकाउंट पीरियड सेटलमेंट) बुधवार से शुरू होकर अगले मंगलवार पर समाप्त होता है.

21. रोलिंग सेटलमेंट क्या होता है ?

रोलिंग सेटलमेंट में दिन भर के सौदों का निपटारा उस दिन के शेष लेन-देन आधार पर होता है.

एनएसई में रोलिंग सेटलमेंट के तहत संबंधित सौदों का निपटारा टी+5 दिन आधार पर होता है. यहां टी का मतलब है सौदे का दिन. अर्थात सोमवार को हुए सौदों का निपटारा सिर्फ अगले सोमवार को ही होगा (सौदे के दिन से 5 कामकाजी दिनों को पकड़कर).

रुपयों और शेयरों का पे-इन और पे-आउट टी+5 दिन आधार पर होता है.

शेयरों और राशि का लेन-देन

22. अगर मैंने शेयर बेचे हैं तो मुझे इन्हें अपने ब्रोकर को कब तक दे देना चाहिए ?

आपको बिक्री का कॉन्ट्रेक्ट नोट मिलते ही या शेयरों के निर्धारित पे-इन दिन से पहले ये शेयर अपने ब्रोकर को दे देने चाहिएं.

23. शेयर खरीदने पर अपने ब्रोकर को मुझे भुगतान कब तक करना होगा ?

अगर आपने शेयर खरीदे हैं तो आपको अपने ब्रोकर को भुगतान इस तरह करना है जिससे पे-इन दिन से पहले देय राशि ब्रोकर के खाते में जमा हो जाए.

24. ब्रोकर से राशि/शेयर मुझे कब तक मिल जाने चाहिएं?

शेयर और राशि ब्रोकर को पे-आउट दिन पर दे दी जाती है. एनएसई नियमों में निर्धारित है कि ट्रेडिंग मेंबर निवेशक को पे-आउट से 48 घंटों के भीतर राशि या शेयर सौंप दे.

25 नॉर्मल सेटलमेंट के लिए राशि और शेयरों के निर्धारित पे-इन और पे-आउट दिन कौन-कौन से हैं?

राशि और शेयरों के लिए पे-इन और पे-आउट दिनों का निर्धारण सेटलमेंट साइकल के हिसाब से है. नॉर्मल सेटलमेंट की एक सेटलमेंट साइकल इस तरह चलन में है:

सप्ताह के दिन	दिन संख्या	दिन की गतिविधि
मंगलवार बुधवार	0 1	बुधवार से मंगलवार तक चलने वाले अकाउंट पीरियड सेटलमेंट का आखिरी दिन (दिन 0) हर ब्रोकर की बकाया राशि और शेयरों के हिसाब-किताब की गणना
गुरुवार शनिवार	2-4	क्लाइंट से डिलीवरियां इकट्ठा करना और क्लियरिंग हाउस तक शेयरों का प्रिपरेशन/ डिलीवरी.
सोमवार	6	शेयरों का पे-इन दिन (शेयरों की सुपुर्दगी)
मंगलवार	7	शेयरों का पे-इन दिन (डीमैट डिलीवरीज) जमा पे-इन दिन
बुधवार	8	शेयरों और राशि का पे-आउट उन शेयरों की नीलामी जिनकी डिलीवरी न हुई हो (कम या शार्ट डिलीवरी)
शुक्रवार	10	नीलामी सेटलमेंट के लिए राशि और शेयरों का पे-इन (फ़िजिकल और नॉर्मल)
शनिवार	11	ऑक्शन सेटलमेंट के लिए राशि और शेयरों का पे-आउट.

नोट : ऊपर दिखाई गई तालिका सामान्य (नॉर्मल) मार्केट धारा की एक प्रचलित सेटलमेंट साइकल है. यदि निर्धारित दिन पर छुट्टी, बैंक क्लोजिंग वगैरह आ जाए तो इन दिनों में अंतर आ सकता है. आप एक्सचेंज द्वारा समय-समय पर हर सेटलमेंट के लिए पे-इन/ पे-आउट की घोषित और निर्धारित तारीखों को देखते रहें.

सेटलमेंट गारंटी फंड

26. सेटलमेंट गारंटी फंड क्या है.

क्लियरिंग कॉरपोरेशन ने अपने ट्रेडिंग मेंबरों के अंशदान से एक सेटलमेंट गारंटी फंड (एसजीएफ) का गठन किया है. यह एसजीएफ इस उद्देश्य से बनाया गया है कि नियमित बाजार में हुए सौदों के सामान्य पे-आउट तक सेटलमेंट का कामकाज पूरा हो सकने की गारंटी दी जा सके, लेकिन यह कंपनियों की तरफ से आपत्तिजनक मामलों, जैसे कि बैड पेपर (आधे-अधूरे या अस्वीकार्य कागज-पत्र) या इनके बराबर की आर्थिक राशि के हरजाने के मामलों में गारंटी नहीं देगा.

यह एसजीएफ इस बात की तसल्ली देता है कि ट्रेडिंग मेंबर की असफल कार्यकुशलता से वादा पूरा न होने के कारण सेटलमेंट होने में समस्या न आए, साथ ही सौदे से जुड़े सभी लोगों (ब्रोकर, कस्टोडियन, निवेशक इत्यादि), जिन्होंने अपने-अपने हिस्से के उत्तरदायित्व निभा दिए हैं, उनका किसी भी तरह का नुकसान न हो.

27. यदि कोई काउंटर ट्रेडिंग मेंबर अपने सेटलमेंट दायित्व के अनुसार भुगतान नहीं कर पाता, तो क्या निवेशक पर इसका कोई असर होता है ?

जी नहीं. काउंटर ब्रोकर यदि अपने दायित्व निभा नहीं पाया तो इससे निवेशक का कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटिज क्लियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड (एनएससीसीएल) अपने बाई-लॉज, रूल्स और रेगुलेशंस के तहत भुगतान दायित्व की गारंटी देता है. यह क्लियरिंग कॉरपोरेशन, सेटलमेंट गारंटी फंड के द्वारा भुगतान करने की गारंटी देता है (यानी एनएससीसीएल ऐसे ब्रोकरों की तरफ से मामला सुलझाता है जो भुगतान न कर सकें).

डीमैट सैटलमेंट

28. बेचने की दशा में डीमैट शेयरों का भुगतान कैसे करूं?

आपको अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी) को अपने बेनिफिशियरी एकाउंट से आपके उस ब्रोकर के पूल एकाउंट में, जिसे आपने शेयर बेचे हैं, शेयर ट्रांसफर के लिए ``*डिलीवरी आउट*" निर्देश देने चाहिएं. अपने डीपी को डिलीवरी आउट निर्देश में उस ब्रोकर के, जिसे शेयर ट्रांसफर होने हैं, पूल अकाउंट (सीएम-बीपी-आईडी) का विवरण लिखा होना चाहिए.

ये निर्देश शेयरों के निर्धारित पे-इन दिन से पहले ही दे दिए जाने चाहिएं. सेबी ने सुझाया है कि डिलीवरी आउट निर्देश शेयरों के निर्धारित पे-इन दिन के कट-ऑफ समय से कम से कम 24 घंटे पूर्व दे दिए जाने चाहिएं, जिससे तारीख भरने संबंधी भूलचूक, नेटवर्क की गड़बड़ी वगैरह के कारण ये निर्देश रद्द न हो जाएं.

29. यदि मैंने शेयर खरीदे हैं तो मुझे अपने बेनिफिशियरी अकाउंट में डीमैट शेयर कैसे मिलेंगे?

आपको अपने बेनिफिशियरी अकाउंट में शेयर स्वीकार करने के लिए अपने डीपी को डिलीवरी-इन के लिए स्थायी निर्देश (स्टैंडिंग इनस्ट्रक्शन्स) दे रखने चाहिएं . आपको अपने बेनिफिशियरी अकाउंट का विवरण और अपने डीपी का डीपी-आईडी अपने ब्रोकर को देना होगा. क्लियरिंग कारपोरेशन से शेयर मिलने पर ब्रोकर उन्हें सीधे ही आपके बेनिफिशियरी अकाउंट में ट्रांसफर करवा देगा. (संशोधित दिशा-निर्देशों के अनुसार पे-आउट दिन पर शेयर सीधे ही क्लाइंट के खाते में जमा कर दिए जाने की व्यवस्था की जा रही है.)

शेयरों की नीलामी

30. नीलामी क्या है ?

विक्रेता ट्रेडिंग मेंबर द्वारा शेयरों की नॉन-डिलीवरी की दशा में एक्सचेंज ऐसे शेयरों को नीलामी में डाल देता है ताकि खरीदार ट्रेडिंग मेंबर को ये शेयर मिल सकें. ट्रेडिंग मेंबर द्वारा नॉन-डिलीवरी के कारणों में शामिल हैं शॉर्ट डिलीवरी, ऐसी बैड डिलीवरीज जिन्हें सुधारा न गया हो और कंपनी द्वारा की गई आपत्तियां जिन्हें इनके द्वारा पूरा न किया गया हो.

यह एक्सचेंज ऑक्शन मार्केट से आवश्यक संख्या में शेयर खरीदकर खरीदार ट्रेडिंग मेंबर को दे देता है.

31. अगर मेरे पास डिलीवर करने के लिए शेयर हैं, तो क्या मुझे नीलामी प्रक्रिया (ऑक्शन मेकेनिस्म) का लाभ मिल सकता है ?

जी हां. आप अपने ट्रेडिंग मेंबर से अपनी सिक्युरिटीज को नीलामी में बेचने को कह सकते हैं. इसमें आपको इन बातों का ध्यान रखना चाहिएः

डिलीवरी के लिए शेयर आसानी से उपलब्ध हों (सिक्युरिटीज़ की नीलामी का पे-इन दिन नीलामी के 1 या 2 दिन के भीतर होता है).

शेयरों की डिलीवरी गुड डिलीवरी होनी चाहिए (बैड डिलीवरी को सुधारने का कोई मौका नहीं दिया जाता).

ऑक्शन पे-इन दिन पर शेयर की डिलीवरी न दी गई या ऑक्शन में शेयरों की बैड डिलीवरी दी गई तो उन्हें इस एक्सचेंज/क्लियरिंग कॉरपोरेशन द्वारा निर्धारित भाव पर सीधे निपटा दिया जाता है.

32. अगर नीलामी में शेयर न खरीदे जाएं तो क्या होगा ?

अगर शेयर नीलामी में खरीदे न जा सके हों यानी नीलामी में बेचने के लिए शेयर न आएं तो इन सौदों को सेबी दिशा-निर्देश अनुसार निपटा दिया जाता है. वर्तमान दिशा-निर्देशों के अनुसार, सौदे की संबंधित अवधि से निपटाने के दिन तक एनएसई में उच्चतम भाव पर या एनएसई पर उपलब्ध सौदे के अंतिम भाव से 20 प्रतिशत ऊपर, इनमें से जो भी ज्यादा हो, पर इन सौदों को निपटा दिया जाता है.

गुड या बैड डिलीवरी

33. गुड और बैड डिलीवरी किसे कहते हैं ?

सेबी ने शेयरों के डिलीवरी संबंधी कागज-पत्रों की गुड और बैड डिलीवरी को लेकर एकसमान दिशा-निर्देश बनाए हैं. इन दिशा-निर्देशों में डॉक्यूमेंट्स-ट्रांसफर डीड और शेयर सर्टिफिकेट की गुड या बैड डिलीवरी की घटनाओं की एक विशाल सूची है. उदाहरणस्वरूप - बैड डिलीवरी के कई कारण हो सकते हैं जैसे ट्रांसफर डीड की तारीख निकल जाना- (अवैध तारीख), कटा-फटा होना, काट-छांट, ओवरराइटिंग, खराब हो जाना, कंपनी/ट्रांसफर के नामों में स्पेलिंग की गलतियां या फोलियो/सर्टिफिकेट/डिस्टिंक्टिव नंबर वगैरह लिखने में गलतियां होना.

34. अगर मुझे बैड डिलीवरी मिली तो मेरे पास रास्ता क्या होगा ?

खरीदार ब्रोकर द्वारा सभी तरह की बैड डिलीवरी की सूचना पे-आउट दिन से 48 घंटे के भीतर यानी आमतौर पर शुक्रवार तक क्लियरिंग हाउस को दे देनी होती है.

35. क्या निवेशक के लिए ये जांचना जरूरी है कि उसे मिली डिलीवरी गुड है या नहीं ?

निवेशकों को यं तसल्ली अवश्य कर लेनी चाहिए कि दी जानेवाली या उन्हें मिलनेवाली डिलीवरीज गुड हों. इससे भविष्य में इन भूलों को सुधारने के लिए अनावश्यक कागजी कार्रवाई नहीं करनी पड़ेगी.

कंपनी की आपत्तियां

36. कंपनी आपत्तियां किस तरह की होती हैं ?

खरीदने के बाद, निवेशक ट्रांसफर डीड के साथ शेयर सर्टिफिकेट को कंपनी में ट्रांसफर करने और अपने नाम करने के लिए भेजता है. कुछ मामलों में, यह पंजीकरण कंपनी द्वारा नामंजूर कर दिया जाता है. इसके कई कारण हो सकते हैं जैसे हस्ताक्षरों में फर्क, नकली/ जालसाजी किए/ चुराए गए शेयर या कोर्ट की तरफ से ट्रांसफर संबंधी स्थगन आदेश वगैरह. इन मामलों में कंपनी शेयर सर्टिफिकेट और ट्रांसफर डीड लौटा देती है. इनके साथ एक पत्र लगा होता है, जिसे ऑब्जेक्शन मेमो कहते हैं. ऐसे सभी मामलों को कंपनी ऑब्जेक्शंस कहा जाता है.

37. स्टॉप ट्रांसफर किसे कहते हैं ?

स्टॉप ट्रांसफर वह प्रक्रिया है जिसमें कंपनीज एक्ट 1956 के अंतर्गत कुछ आधारों पर कंपनी द्वारा शेयरों का ट्रांसफर रोक दिया जाता है. आम तौर पर शेयरों के मालिक द्वारा कुछ शेयरों की यहां-वहां हो जाने/ गुमशुदगी/ चुरा लिए जाने की सूचना लिखाने पर प्राथमिक सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) या कोर्ट आदेश पर स्टॉप ट्रांसफर होता है.

38. कंपनी ऑब्जेक्शंस आने पर कंपनी द्वारा लौटाए हुए शेयरों का क्या किया जाए ? कंपनी ऑब्जेक्शंस कब तक बताने चाहिएं ?

आप कंपनी द्वारा भेजे गए डॉक्यूमेंट्स (कंपनी ऑब्जेक्शन मेमो, ट्रांसफर डीड, शेयर सर्टिफिकेट और अन्य संबंधित डॉक्यूमेंट्स) मिलते ही अपने ब्रोकर को दे दें. कंपनी द्वारा लौटाए शेयरों को ऑब्जेक्शन मेमो जारी करने की तारीख से 12 महीनों के भीतर क्लियरिंग हाउस में बतौर कंपनी ऑब्जेक्शन रिपोर्ट करें. ट्रेडिंग मेंबर द्वारा कंपनी ऑब्जेक्शन के मामले क्लियरिंग हाउस में से हर सप्ताह विशेष तौर पर मंगलवार और बुधवार को लिखाए जा सकते हैं.

39. ऑब्जेक्शन वाले मेरे शेयर ट्रेडिंग मेंबर (कारोबारी सदस्य) को दे देने के बाद, ठीक होकर/बदल कर मुझे वापस कैसे मिलेंगे ?

ब्रोकर इन शेयरों को क्लियरिंग हाउस में रिपोर्ट करेगा, जो बदले में, इन डॉक्यूमेंट्स को उस ब्रोकर को भेजेगा जिसने ठीक करने/ बदलने के लिए इन्हें पहली बार एक्सचेंज (एनएसई का पहचानकर्ता सदस्य) पर बेचा था. पहचानकर्ता सदस्यों को 21 दिनों के भीतर ऑब्जेक्शन वाले इन शेयरों को ठीक करना/ बदलना होता है, अन्यथा इन्हें एक्सचेंज के बाई-लॉज, रूल्स और रेगुलेशंस के अनुसार ऑक्शन में डालना होता है.

40. कंपनी ऑब्जेक्शन के कारण शेयरों पर मिलने वाले मुनाफे (डिवीडेंड, बोनस, राइट्स वगैरह) से मेरा तो नुकसान हो जाएगा. ऐसे में मैं क्या करूं ?

पहचानकर्ता सदस्य द्वारा पहली बार एक्सचेंज में शेयरों की डिलीवरी के बाद, जब तक कि वह ठीक किए/ बदले हुए शेयरों की डिलीवरी न कर दे, कंपनी द्वारा घोषित कॉरपोरेट बेनिफिट्स जितनी राशि का दावा प्राप्तकर्ता सदस्य कर सकता है.

शिकायतों का निपटारा

शिकायतें किसे भेंजे

41. किसी ब्रोकर/पंजीकृत सब-ब्रोकर से कोई शिकायत हो तो किसे लिखें ?

आप एनएसई के मुंबई या जहां आपका सौदा हुआ था, उस मुताबिक प्रादेशिक कार्यालयों (रीजनल ऑफिसेस) में अपनी शिकायत इन पतों पर लिख सकते हैं :

ट्रेडिंग मेंबर के कार्यालय, जहां सौदा हुआ, में पड़ने वाले राज्य	शिकायतें यहां भेजें
महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, दमन, दियू,दादरा और नगर हवेली, मध्य प्रदेश	नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि., पहली मंज़िल, ट्रेड वर्ल्ड, सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल, मुंबई - 400 013.
दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, जम्मू और कश्मीर, चंडीगढ़, राजस्थान	नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि. थापर हाउस, वेस्टर्न विंग, 124, जनपथ, जनपथ लेन, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली - 110 001.
पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, सिक्किम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा	नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि. आइडियल प्लाजा, 11/1, शरत बोस रोड, कोलकता - 700 020.
आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, अंडमान और निकोबार, लक्ष्यद्वीप,	नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि. लक्ष्मीनीला राइटचॉइस चैंबर, 5, बजुल्लाह रोड, पॉन्डिचेरी टी. नगर, चेन्नई - 600 017.

42. एनएसई में सौदे करने वाली कंपनी के खिलाफ शिकायत करनी हो तो कहां की जाए ?

कंपनियों से संबंधित सभी शिकायतें यहां लिखें :

निवेशक शिकायत कक्ष, (इन्वेस्टर ग्रीवेंस सॅल)
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि.,
पहली मंजिल, ट्रेड वर्ल्ड,
सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल,
मुंबई - 400 013.
टेलि. क्र. : 497 2950 (10 लाइनें),491 4269 (डायरेक्ट)
फैक्स : 497 2996
ई-मेल पता : ignse@nse.co.in

आईजीसी द्वारा निपटारे के लिए ली जाने वाली शिकायतें

43. आईजीसी द्वारा किस प्रकार की शिकायतें निपटारे के लिए स्वीकार की जाती हैं ?

आईजीसी निपटारे के लिए निम्न तरह की शिकायतें लेती है :

एनएसई द्वारा अपने नीट टर्मिनल पर तथा एनएसई ट्रेडिंग मेंबर या एनएसई ट्रेडिंग मेंबर के पंजीकृत सब-ब्रोकर के द्वारा हुए सौदे संबंधी शिकायतें.

एनएसई पर कारोबार के लिए उपलब्ध कंपनियों के सौदों के मामले.

इसलिए इन्वेस्टर ग्रीवेंस सॅल में अपना मामला ले जाते समय निवेशकों को संबंधित कॉन्ट्रॅक्ट या खरीद-बेच पत्र देने चाहिएं.

44. शिकायत दर्ज करवाने के लिए क्या कोई विशेष फार्म होता है ? इसके साथ मुझे क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स लगाने चाहिएं ?

निवेशकों से अनुरोध है कि वे इन फार्मों का उपयोग करें :

इन्वेस्टर कम्पलेंट फार्म - । (आईसीएफ -।) ट्रेडिंग मेंबर / पंजीकृत सब-ब्रोकर के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाने के लिए, और

इन्वेस्टर कम्पलेंट फार्म - ॥ (आईसीएफ - ॥) एनएसई में सौदे करने वाली कंपनियों के खिलाफ

ट्रेडिंग मेंबर/ पंजीकृत सब-ब्रोकर के खिलाफ शिकायत करनी हो तो ये डॉक्यूमेंट्स साथ लगाने चाहिएं :

कॉन्ट्रॅक्ट या परचेज़/ सेल नोट्स की प्रतियां

स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स (हिसाब-किताब की प्रति)

ट्रेडिंग मेंबर को दिए हुए शेयरों की प्राप्ति पावती

ट्रेडिंग मेंबर से पूर्व पत्राचार की प्रतियां

आईसीएफ-। फार्म के पीछे लिखे अन्य डॉक्यूमेंट्स

कंपनियों के मामलों में, निम्न डॉक्यूमेंट्स जोड़ने चाहिएं :

कॉन्ट्रेक्ट या परचेज/ सेल नोट्स की प्रतियां

कंपनी/ रजिस्ट्रार्स के साथ हुए पूर्व पत्राचार की प्रतियां

अन्य डॉक्यूमेंट्स, जैसा कि आईसीएफ-॥ के पीछे दर्शाया गया है

45 ट्रेडिंग मेंबरों/सब-ब्रोकरों और कंपनियों की शिकायतों के अविलंब निपटारे के लिए इन्वेस्टर ग्रीवेंस सॅल क्या कदम उठाती है ?

ट्रेडिंग मेंबर्स/ सब-ब्रोकर्स के खिलाफ शिकायतें:

निवेशक से प्राप्त शिकायत के साथ अगर उपरोक्त दर्शाए सभी कागज-पत्र जुड़े हों तो यह शिकायत संबंधित ट्रेडिंग मेंबर/ सब-ब्रोकर के पास इस उम्मीद के साथ भेजी जाती है कि यह अपना पक्ष रखेगा या शिकायत का निपटारा करेगा. ट्रेडिंग मेंबर से उम्मीद की जाती है कि वे अपने जवाब 21 दिनों के भीतर भेजेंगे.

जब ट्रेडिंग मेंबर/ पंजीकृत सब-ब्रोकर निवेशक के दावे को नहीं मानता तो ट्रेडिंग मेंबर के जवाब को निवेशक तक पहुंचाया जाता है. जरूरी हुआ तो दोनों पक्षों को एक संयुक्त मीटिंग (मुलाकात) के लिए बुलाया जाता है. इस प्रकार ज्यादातर मामले सुलझ जाते हैं. इन्वेस्टर ग्रीवेंस सॅल में अनसुलझे मामलों को, अगर पार्टियां चाहें तो आर्बिट्रेशन (मध्यस्थता) के लिए ले जा सकती हैं.

कंपनियों/ शेयर ट्रांसफर एजेंटों और रजिस्ट्रारों (एसटीएज) के खिलाफ शिकायतें:

निवेशकों से प्राप्त शिकायतों को उनकी तरफ से उचित कार्यवाही के लिए संबंधित कंपनियों/ एसटीएज तक पहुंचाया जाता है. यदि कंपनी/ एसटीएज से 21 दिनों तक कोई जवाब न आया तो पत्र, टेलिफोन कॉल्स और व्यक्तिगत मुलाकातों द्वारा तालमेल बनाया जाता है जिससे उनके जवाब जल्द से जल्द मिल सकें.

46. मेरे शेयरों के खो जाने/यहां-वहां हो जाने/चुरा लिए जाने पर मुझे क्या करना चाहिए ?

ऐसा होने पर आप अविलंब संबंधित कंपनी को लिखित रूप में सूचित करें तथा शेयरों के ट्रांसफर पर रोक के निर्देश दें. आप कंपनी द्वारा सूचित शेयर ट्रांसफर पर रोक या डुप्लिकेट शेयर सर्टिफिकेट जारी करने के लिए जरूरी औपचारिकता पूरी करें.

साथ ही साथ, खो जाने या यहां-वहां हो जाने संबंधी कम्पलेंट/एफआईआर पुलिस में अवश्य लिखा दें.

इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड

47. इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड (आईपीएफ) क्या होता है और यह काम में कब-कब आता है ?

इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड को इस एक्सचेंज द्वारा चलाया जाता है. इसका उद्देश्य है निवेशक के उन दावों की रक्षा, जो ट्रेडिंग मेंबर द्वारा इस एक्सचेंज पर हुए सौदों के नॉन-सेटलमेंट की असफलता से पैदा होते हैं. इस आईपीएफ का उपयोग उन निवेशकों के दावे निपटाने में होता है जिनके ट्रेडिंग मेंबर को डिफाल्टर घोषित कर दिया गया है.

निवेशक को इस आईपीएफ से दावे की उच्चतम देय राशि (उन मामलों में जहां ट्रेडिंग मेंबर को, जिसके द्वारा निवेशक ने व्यवहार किया था, डिफाल्टर घोषित किया गया हो) रु. 5 लाख है.

वेब साइट पर उपलब्ध जानकारी

- एनएसई ट्रेडिंग मेंबरों की सूची
- एनएसई पर सौदे करने वाली कंपनियों की सूची
- स्टॉक भाव/कोटेशंस

निवेशक – अधिकार और दायित्व

निवेशक के अधिकार	निवेशक के दायित्व
निम्न पाने का अधिकार * अच्छा भाव * भाव/ली गई दलाली का प्रमाण * आपकी राशि/शेयर की समय पर डिलीवरी * डिलीवरी न मिलने पर नीलामी द्वारा शेयरों की डिलीवरी * अगर नीलामी में डिलीवरी न मिली हो तो निपटाई गई राशि का मिलना,	**करना चाहिए** * उचित मेंबर-कान्स्टिट्युएंट एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर * वैध कॉन्ट्रेक्ट या खरीद/बेच नोट का ताबा * वैध डॉक्यूमेंट्स और सही हस्ताक्षरों सहित शेयरों की डिलीवरी
निम्न के खिलाफ शिकायत करने का अधिकार * छलपूर्ण भाव * अनुचित दलाली * राशि या शेयर मिलने में देर * निवेशक अपरिचित कंपनियां	**निम्न पूरा करने का दायित्व** * समय पर भुगतान * समय पर शेयरों को देना * समय रहते कंपनी में ट्रांसफर के लिए शेयर भेजना * कंपनी द्वारा ऑब्जेक्शन संबंधी मिले हुए सभी कागजात ब्रोकर को समय पर भेज देना

फ्लो चार्ट
जब शेयरों में निवेश करें

सुविधाजनक स्थान पर स्थित ब्रोकर/सब-ब्रोकर का चयन करें

जांच कर लें कि वह व्यक्ति एनएसई ट्रेडिंग मेंबर/एनएसई ट्रेडिंग मेंबरका पंजीकृत सब-ब्रोकर है, साथ ही उसकी एनएसई तक अधिकृत पहुंच हो.

उचित मसौदेपूर्ण मेंबर कॉन्स्टिट्युएंट एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करें अब आप इस ट्रेडिंग मेंबर के जरिए एनएसई पर शेयरों की खरीद-बेच कर सकते हैं.

जब-जब शेयर खरीदने-बेचने हों, अपने ट्रेडिंग मेंबर को लिखित निर्देश ही दें.

एनएसई पर आपका ऑर्डर देने के बाद ऑर्डर कन्फर्मेशन स्लिप लेने का आग्रह करें.

एनएसई पर सौदा हो जाने के बाद ट्रेड कन्फर्मेशन स्लिप लेने का आग्रह करें

सौदे का कॉन्ट्रॅक्ट नोट ले लें जिसमें भाव और दलाली का सही उल्लेख होता है.

निर्धारित समय सीमा के भीतर शेयर या राशि चुका दें.

निर्धारित समय सीमा के भीतर शेयर या राशि मिल जाने पर जोर दें.

स्पष्टीकरण या असंतुष्टि की दशा में, अपने नजदीकी इन्वेस्टर सर्विस सेंटर से संपर्क करें.

कॉन्ट्रॅक्ट नोट
(नियम 3.5)
मुंबई न्यायालय के अधीन
कॉन्स्टिट्युएंट के लिए बतौर ब्रोकर्स और एजेंट्स कार्यरत सदस्यों द्वारा जारी कॉन्ट्रॅक्ट नोट
सदस्य का नाम
सदस्य का पता
सदस्य का सेबी पंजीकरण क्रमांक

भागीदार का नाम
मालिक/अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

व्यवहृत कार्यालयीन पता/फोन नं./टेलेक्स नं./फैक्स नं.
सदस्य का कोड नं. :

फोन नं. :
टेलेक्स नं. :
फैक्स नं. :

कॉन्ट्रॅक्ट नं.

कॉन्स्टिट्युएंट (संघटक) का नाम / कोड नं./कॉन्स्टिट्युएंट ऑर्डर रेफरेंस नं.

इंडियन स्टॅम्प एक्ट के शेड्युल 1 मुताबिक आवश्यक स्टैंप

तारीख :
सेटलमेंट क्रमांक:
सेटलमेंट : —— से ——

श्रीमान/ श्रीमती,
आपके आदेशानुसार और आपके खाते में मैंने/ हमने आज दिन निम्न सौदे किए :

			आपके लिए ————— डिलीवरी/क्लिरियंग के लिए शेयर खरीदे						आपके लिए ---------- डिलीवरी/क्लिरियंग के शेयर बेचे					
ऑर्डर नं.	सौदा क्रमांक	सौदे का समय	संख्या	शेयर का प्रकार	खरीदी भाव	दलाली	भाव + दलाली शुद्ध भाव	राशि रु.	संख्या	शेयर का प्रकार	बिक्री का भाव	दलाली	भाव - दलाली शुद्ध भाव	राशि रु.

ऊपर दर्शाई राशि का चेक कृपया भेज दें.
खरीदी/डेबिट हेतु कृपया भुगतान तत्काल करें.

आपसे अनुरोध है कि हस्ताक्षरित ट्रांसफर डीड के साथ शेयर/ डिबेंचर सर्टिफिकेट तत्काल भेजने की कृपा करें.

टिप्पणी : बिक्री भाव में लाभांश (डिवीडेंड), यदि हों तो, शामिल हैं.

अन्य शुल्क कोई हो तो :
उल्लिखित अनुसार दलाली लगाई गई है तथा यह दलाली की निर्धारित दर से ज्यादा नहीं है एवं अलग से दिखाई गई है.
यह कॉन्ट्रॅक्ट, नियम, बाई-लॉज और नियमन तथा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, मुंबई, के प्रचलन के अधीन है.
प्रस्तुत कॉन्ट्रॅक्ट, मुंबई न्यायालय के अधीन माना जाएगा.
उपरोक्त सौदों को लेकर यदि आपके और मेरे/हमारे मध्य किसी भी तरह का दावा (स्वीकृत हुआ हो अथवा न हुआ हो), मतभेद अथवा विवाद हों, तो इस मामले को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, मुंबई, द्वारा प्रस्तावित, बाई-लॉज और नियमन के तहत, मुंबई में मध्यस्थता (ऑर्बिट्रेशन) के लिए सौंप दिया जाएगा.
यह कॉन्ट्रॅक्ट, पीछे छपे प्रावधान अनुसार, आपके और मेरे/ हमारे बीच हुए अनुबंध का आधार है तथा इसके आधार पर यह माना जाएगा कि किसी भी तरह के दावे (स्वीकृत या अस्वीकृत), मतभेदों और विवादों, जो किसी भी तरह के सौदे, लेनदेन और कॉन्ट्रॅक्टों में इस कॉन्ट्रॅक्ट की तिथि से पूर्व या बाद हुए (भले ही वे सौदे, लेनदेन के कॉन्ट्रॅक्ट हुए हों या नहीं, को मिलाकर) के निपटारे के लिए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, मुंबई, के नियमों, बाई-लाज और नियमन अनुसार मुंबई में मध्यस्थता (आर्बिट्रेशन) करने और निर्णय के लिए दाखिल किया जाएगा.
पीछे छपे प्रावधान इस कॉन्ट्रॅक्ट का एक हिस्सा हैं.
मुंबई
तारीख
कृपया पीछे देखें

भवदीय

सदस्य– नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि.

मध्यस्थता (आर्बिट्रेशन) संबंधित बाई-लाज और नियमनों का उतारा

1) इस एक्सचेंज के बाई-लॉज, नियम और नियमन के तहत, ट्रेडिंग मेंबरों के आपसी, ट्रेडिंग मेंबरों और कॉन्स्टिट्युएंट्स के बीच हुए सौदों, अनुबंधों और लेनदेन से उपजे या जुड़े; या इन सभी से जुड़े; या इनके अनुसार; या इनकी वैधता, रचना, व्याख्या, पालन को लेकर; या संबंधित पक्षों के अधिकार, दायित्व और देनदारियों; और इस मुद्दे/ सवाल को मिलाकर कि ये सौदे, लेनदेन और अनुबंध हुए हैं या नहीं; को इन बाई-लॉज और नियमन के अनुसार मध्यस्थता के लिए प्रस्तुत किया जाए.

2) वे सभी सौदे, अनुबंध और लेनदेन, जो इस एक्सचेंज के बाई-लॉज और नियमनों में इस मध्यस्थता के लिए दिए गए प्रावधानों के अधीन हुए हैं या हुए, ऐसा समझा जाए, और ये इन सौदों, अनुबंधों और लेनदेन का एक हिस्सा होंगे या माने जाएंगे तथा यह समझा जाएगा कि इन्हें संबंधित पक्षों द्वारा मध्यस्थता अनुबंध में लिखित रूप में दर्ज किया गया है, जिसके द्वारा उपरोक्त शर्त (अ) में उल्लिखित प्रकार के सभी दावे, मतभेद और विवादों को इन बाई-लाज और नियमन के अनुसार मध्यस्थता के लिए प्रस्तुत किया जाएगा.

3) शर्त (अ/ 1) में उल्लिखित सभी तरह के दावे, मतभेद या विवादों को दावे, मतभेद या विवादों के उत्पन्न होने या उत्पन्न समझे जाने की तारीख से छह महीने के भीतर सुलझाने के लिए दाखिल किए जाने चाहिएं. एक्ट के प्रावधानों के अनुसार, कंसाइलेशन प्रोसिडिंग्स (मिलान प्रक्रिया), यदि हो तो, के दायर करने और चलने तथा संबंधित प्राधिकरण द्वारा दावे, मतभेदों या विवादों के निपटारे में लगने वाला समय, छह महीने की अवधि की गणना में शामिल नहीं माना जाएगा.

4) संबंधित प्राधिकरण द्वारा निर्धारण एवं उसके अनुसार सुरक्षित, आर्बिट्रेशन की बैठक विभिन्न अंचलों के लिए निम्न अनुसार होगी;

ऑर्बिट्रेशन की बैठकें - रीजनल आर्बिट्रेशन सेंटर्स (आरएसी)	आरएसी के दायरे में आने वाले राज्य
दिल्ली	दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, जम्मू और कश्मीर, चंडीगढ़, राजस्थान
कोलकता	पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, सिक्किम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा.
चेन्नई	आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, अंडमान और निकोबार, लक्ष्यद्वीप, पॉन्डिचेरी.
मुंबई	महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, दमन, दियु, दादरा और नगर हवेली, मध्यप्रदेश.

5) संबंधित प्राधिकरण द्वारा निर्धारण अनुसार एवं सुरक्षित, किसी मामले-विशेष में आर्बिट्रेशन के चयन की पात्रता निम्न अनुसार है :

विवाद से जुड़े पक्ष	आर्बिट्रेशन के लिए आवेदन देने का स्थान	सुनवाई का स्थान
टीएम विरुद्ध ट्रेडिंग मेंबर	अ) अगर दोनों ट्रेडिंग मेंबरों के कामकाज के कार्यालय उसी आरएसी के किसी एक राज्य में आते हों तो मध्यस्थता के लिए आवेदन आवेदक ट्रेडिंग मेंबर द्वारा उसी आरएसी में जमा किया जाए. ब) अगर दोनों ट्रेडिंग मेंबरों के कामकाज के कार्यालय अलग-अलग आरएसी के राज्य में आते हों तो मध्यस्थता के लिए आवेदन प्रतिवादी- ट्रेडिंग मेंबर के कार्यालय के राज्य में पड़ने वाले आरसीसी में जमा किया जाए.	आवेदक ट्रेडिंग मेंबर ने मध्यस्थता के लिए जिस आरएसी के यहां आवेदन दिया हो और प्रतिवादी ट्रेडिंग मेंबर उस आरएसी- विशेष के यहां सुनवाई में मौजूद रहेगा तो उसी आरएसी में सुनवाई होगी.
टीएम विरुद्ध सी एवं सी विरुद्ध टीएम	मध्यस्थता के लिए आवेदक द्वारा आरएसी के राज्य में पड़ने वाले उस कार्यालय में आवेदन दिया जाए जहां उस ट्रेडिंग मेंबर के कार्यालय में पड़ने वाला राज्य पड़ता है, जिसके द्वारा सौदा किया गया था.	आवेदक ने मध्यस्थता के लिए जिस आरएसी के यहां आवेदन दिया हो और प्रतिवादी उस आरएसी के यहां सुनवाई में मौजूदा रहेगा तो उसी आरएसी में सुनवाई होगी.

''टीएम" का मतलब है ''ट्रेडिंग मेंबर" और ''सी" का मतलब ''कॉन्स्टिट्युएंट".
अधिक जानकारी के लिए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि. के बाई-लाज का अध्याय चतुर्थ ओर कॅपिटल मार्केट ट्रेडिंग रेगुलेशन का अध्याय पंचम देखें.
क्लाइंट शेयरों को अपने जोखिम पर ब्लैंक (बिना नाम पर चढ़ाए) रखेंगे.

सिर्फ मुंबई न्यायालय अधीन
<u>कॉन्स्टिटयुएंट के लिए बतौर सब-ब्रोकर्स द्वारा जारी परचेज/सेल नोट</u>
सब-ब्रोकर का नाम
सब-ब्रोकर का सेबी पंजीकरण क्रमांक
ट्रेडिंग मेंबर का नाम, जिससे जुडे हैं
(नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि. का स्टॉक-ब्रोकर)

भागीदार का नाम
मालिक/अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
व्यवहृत कार्यालयीन पता/फोन नं./टेलेक्स नं./फैक्स नं.

फोन नं. :
टेलेक्स नं. :
फैक्स नं. :

सदस्य का कोड नं. :

परचेज/सेल नोट नं.
संबंधित कॉन्ट्रॅक्ट नोट नं. (जुडे हुए स्टॉक ब्रोकर द्वारा जारी)
कॉन्ट्रॅक्ट नोट की तारीख

प्रति
कॉन्स्टिट्युएंट (संघटक) का नाम /कोड नं./कॉन्स्टिट्युएंट ऑर्डर रेफरेंस नं.

इंडियन स्टॅम्प एक्ट
के शेड्युल 1 मुताबिक
आवश्यक स्टॅंप

तारीख :
सेटलमेंट क्रमांकः
सेटलमेंट : —— से ——

श्रीमान/श्रीमती,
आपके आदेशानुसार और आपके खाते में मैंने/हमने आज दिन निम्न सौदे किए :

			आपके लिए ————— डिलीवरी/क्लियरिंग के लिए शेयर खरीदे						आपके लिए ----------- डिलीवरी/क्लियरिंग के शेयर बेचे					
ऑर्डर नं.	सौदा क्रमांक	सौदे का समय	संख्या	शेयर का प्रकार	खरीदी भाव	दलाली	भाव + दलाली शुद्ध भाव	राशि रु.	संख्या	शेयर का प्रकार	विक्री का भाव	दलाली	भाव - दलाली शुद्ध भाव	राशि रु.

ट्रेडिंग मेंबर द्वारा जारी कॉन्ट्रॅक्ट नोट अनुसार

ऊपर दर्शाई राशि का चेक कृपया भेज दें.
खरीदी/डेबिट हेतु कृपया भुगतान तत्काल करें.

आपसे अनुरोध है कि हस्ताक्षरित ट्रांसफर डीड के साथ
शेयर/डिबेंचर सर्टिफिकेट तत्काल भेजने की कृपा करें.

टिप्पणी : विक्री भाव में
लाभांश (डिवीडेंड), यदि हों तो, शामिल हैं.

अन्य शुल्क, यदि हो तो :
उल्लिखित अनुसार दलाली लगाई गई है तथा यह दलाली की निर्धारित दर से ज्यादा नहीं है एवं अलग से दिखाई गई है.
यह , परचेज/सेल नोट नियम, बाई-लॉज और नियमन तथा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, मुंबई, के प्रचलन के अधीन है.
प्रस्तुत परचेज/सेल नोट , मुंबई न्यायालय के अधीन माना जाएगा.
उपरोक्त सौदों को लेकर यदि आपके और मेरे/हमारे मध्य किसी भी तरह का दावा (स्वीकृत हुआ हो अथवा न हुआ हो), मतभेद अथवा विवाद हों, तो इस मामले को विवाद की तारीख से छह महीने के भीतर ट्रेडिंग मेंबर की नजरों में लाया जाए और जहां तक हो सके, मेंबर ब्रोकर की मदद से आपस में ही सुलझा लिया जाए, अन्यथा समाधान के लिए इसे इस एक्सचेंज के अधिकारियों तक ले जाना पडेगा.
यह परचेज/ सेल नोट, पीछे छपे प्रावधान अनुसार, आपके और मेरे/ हमारे बीच हुए अनुबंध का आधार है तथा इसके आधार पर यह माना जाएगा कि किसी भी तरह के दावे (स्वीकृत या अस्वीकृत), मतभेदों और विवादों, जो किसी भी तरह के सौदे, लेनदेन और कॉन्ट्रॅक्टों में इस परचेज/ सेल नोट की तिथि से पूर्व या बाद हुए (भले ही वे सौदे, लेनदेन के कॉन्ट्रॅक्ट हुए हों या नहीं, को मिलाकर) के निपटारे के लिए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, मुंबई, के नियमों, बाई-लाज और नियमन अनुसार मुंबई में मध्यस्थता (आर्बिट्रेशन) करने और निर्णय के लिए दाखिल किया जाएगा.
पीछे छपे प्रावधान इस परचेज/सेल नोट का एक हिस्सा है.
मुंबई
तारीख

भवदीय

सदस्य- नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि.

मध्यस्थता (आबिट्रेशन) संबंधित बाई-लाज और नियमनों का उतारा

1) इस एक्सचेंज के बाई-लॉज, नियम और नियमन के तहत, ट्रेडिंग मेंबरों के आपसी, ट्रेडिंग मेंबरों और कॉन्स्टिट्युएंट्स के बीच हुए सौदों, अनुबंधों और लेनदेन से उपजे या जुड़े; या इन सभी से जुड़े; या इनके अनुसार; या इनकी वैधता, रचना, व्याख्या, पालन को लेकर; या संबंधित पक्षों के अधिकार, दायित्व और देनदारियों; और इस मुद्दे/सवाल को मिलाकर कि ये सौदे, लेनदेन और अनुबंध हुए हैं या नहीं; को इन बाई-लॉज और नियमन के अनुसार मध्यस्थता के लिए प्रस्तुत किया जाए.

2) वे सभी सौदे, अनुबंध और लेनदेन, जो इस एक्सचेंज के बाई-लॉज और नियमनों में इस मध्यस्थता के लिए दिए गए प्रावधानों के अधीन हुए हैं या हुए, ऐसा समझा जाए, और ये इन सौदों, अनुबंधों और लेनदेन का एक हिस्सा होंगे या माने जाएंगे तथा यह समझा जाएगा कि इन्हें संबंधित पक्षों द्वारा मध्यस्थता अनुबंध में लिखित रूप में दर्ज किया गया है, जिसके द्वारा उपरोक्त शर्त (अ) में उल्लिखित प्रकार के सभी दावे, मतभेद और विवादों को इन बाई-लाज और नियमन के अनुसार मध्यस्थता के लिए प्रस्तुत किया जाएगा.

3) शर्त (अ/1) में उल्लिखित सभी तरह के दावे, मतभेद या विवादों को दावे, मतभेद या विवादों के उत्पन्न होने या उत्पन्न समझे जाने की तारीख से छह महीने के भीतर सुलझाने के लिए दाखिल किए जाने चाहिएं. एक्ट के प्रावधानों के अनुसार, कंसाइलेशन प्रोसिडिंग्स (मिलान प्रक्रिया), यदि हो तो, के दायर करने और चलने तथा संबंधित प्राधिकरण द्वारा दावे, मतभेदों या विवादों के निपटारे में लगने वाला समय, छह महीने की अवधि की गणना में शामिल नहीं माना जाएगा.

4) संबंधित प्राधिकरण द्वारा निर्धारण एवं उसके अनुसार सुरक्षित, आर्बिट्रेशन की बैठक विभिन्न अंचलों के लिए निम्न अनुसार होगी;

ऑर्बिट्रेशन की बैठकें - रीजनल आर्बिट्रेशन सेंटर्स (आरएसी)	**आरएसी के दायरे में आने वाले राज्य**
दिल्ली	**दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, जम्मू और कश्मीर, चंडीगढ़, राजस्थान**
कोलकता	**पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, सिक्किम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा.**
चेन्नई	**आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, अंडमान और निकोबार, लक्ष्यद्वीप, पॉन्डिचेरी.**
मुंबई	**महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, दमन, दियु, दादरा और नगर हवेली, मध्यप्रदेश.**

5) संबंधित प्राधिकरण द्वारा निर्धारण अनुसार एवं सुरक्षित, किसी मामले-विशेष में आर्बिट्रेशन के चयन की पात्रता निम्न अनुसार है :

विवाद से जुड़े पक्ष	आर्बिट्रेशन के लिए आवेदन देने का स्थान	सुनवाई का स्थान
टीएम विरुद्ध ट्रेडिंग मेंबर	अ) अगर दोनों ट्रेडिंग मेंबरों के कामकाज के कार्यालय उसी आरएसी के किसी एक राज्य में आते हों तो मध्यस्थता के लिए आवेदन आवेदक ट्रेडिंग मेंबर द्वारा उसी आरएसी में जमा किया जाए. ब) अगर दोनों ट्रेडिंग मेंबरों के कामकाज के कार्यालय अलग-अलग आरएसी के राज्य में आते हों तो मध्यस्थता के लिए आवेदन प्रतिवादी- ट्रेडिंग मेंबर के कार्यालय के राज्य में पड़ने वाले आरसीसी में जमा किया जाए.	आवेदक ट्रेडिंग मेंबर ने मध्यस्थता के लिए जिस आरएसी के यहां आवेदन दिया हो और प्रतिवादी ट्रेडिंग मेंबर उस आरएसी- विशेष के यहां सुनवाई में मौजूद रहेगा तो उसी आरएसी में सुनवाई होगी.
टीएम विरुद्ध सी एवं सी विरुद्ध टीएम	मध्यस्थता के लिए आवेदक द्वारा आरएसी के राज्य में पड़ने वाले उस कार्यालय में आवेदन दिया जाए जहां उस ट्रेडिंग मेंबर के कार्यालय में पड़ने वाला राज्य पड़ता है, जिसके द्वारा सौदा किया गया था.	आवेदक ने मध्यस्थता के लिए जिस आरएसी के यहां आवेदन दिया हो और प्रतिवादी उस आरएसी के यहां सुनवाई में मौजूदा रहेगा तो उसी आरएसी में सुनवाई होगी.

''टीएम" का मतलब है ''ट्रेडिंग मेंबर" और ''सी" का मतलब ''कॉन्स्टिट्युएंट".
अधिक जानकारी के लिए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि. के बाई-लाज का अध्याय चतुर्थ ओर कॅपिटल मार्केट ट्रेडिंग रेगुलेशन का अध्याय पंचम देखें.
क्लाइंट शेयरों को अपने जोखिम पर ब्लैंक (बिना नाम पर चढ़ाए) रखेंगे.

निवेशक सेवा केंद्रों की सूची:

अहमदाबाद :
406 साकर II, एलिस ब्रिज के पास,
अहमदाबाद - 380 006.
फोन : 079-658 0212/0213
फैक्स : 079-6576123

कोलकता :
आइडियल प्लाजा, 11/1, शरत बोस रोड,
कोलकता - 700 020.
फोन : 033-280 5950-55, 033-280 1202/03/04
फैक्स : 033-240 9783

चेन्नई :
लक्ष्मीनीला राइट चॉइस चैम्बर
5, बजुल्लाह रोड, टी नगर, चेन्नई 600 017.
फोन :044-8241723/24/25. फैक्स:044-824 1721.

दिल्ली
``थापर हाउस", वेस्टर्न विंग, मैजनाइन फ्लोर,
जनपथ लेन, 124 जनपथ,
नई दिल्ली - 110 001.
फोन : 011-334 4313 से 334 4327.
फैक्स : 011-336 6658.

हैदराबाद :
8-2-677/ए/3, रोड नं. 12, बंजारा हिल्स,
हैदराबाद - 500 034.
फोन : 040-332 4880/4883
फैक्स : 040-332 4632.

पुणे :
मंत्री सेंटर, 928, एफ. सी. रोड,
पुणे - 411 004.
फोन : 020-567 4061-69, 020-567 2184.
020-567 2187. फैक्स : 020-567 1551.

कॉरपोरेट ऑफिस

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड,
एक्सचेंज प्लाझा, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स,
बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051.
फोन : 91-22-659 8100-114
फैक्स : 91-22-659 8120.
ई-मेल : cc_nse@nse.co.in
वेबसाइट : www.nseindia.com

अधिक जानकारी एवं इस पुस्तिका की ज्यादा प्रतियों के लिए उपरोक्त पते पर लिखें.

टिप्पणियां

टिप्पणियां

वैधानिक चेतावनी

यहां दी गई जानकारी बिना पूर्व सूचना के बदली जा सकती है. यद्यपि इसकी सत्यता और संपूर्णता में पूर्ण सावधानी बरती गई है, फिर भी जानकारी की अशुद्धियों या त्रुटियों के लिए यह एक्सचेंज किसी भी तरह की गारंटी तथा हरजाने की भरपाई के लिए जवाबदेह/जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता. इसमें दी गई जानकारी को किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी दावे, मांग या कानूनी कार्यवाई के लिए आधार नहीं माना जाए.

विशिष्ट मामलों और समस्याओं के लिए कृपया संबंधित नियमनों एवं परिपत्रों (सरकुलर्स) को देखें.

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड

एक्सचेंज प्लाझा, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई- 400 051.
फोन : 91-22-659 8100-114 फैक्स : 91-22-659 8120.
वेबसाइट : www.nseindia.com
ई-मेल : cc_nse@nse.co.in